

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी-आव्हान निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
338/2024

दायर दिनांक
21.06.2024
उनवान

निर्णय दिनांक
03.07.2024

1. कान सिंह पुत्र मदन सिंह राजपूत आयु वयस्क निवासी मण्डपिया तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम


1. जोरावर सिंह पुत्र प्रताप सिंह आयु वयस्क निवासी मण्डपिया शक्तावतान तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. चेतन कंवर पत्नी सुरेन्द्र सिंह आयु वयस्क निवासी मण्डपिया शक्तावतान तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. देबी सिंह पुत्र प्रताप सिंह आयु वयस्क निवासी मण्डपिया शक्तावतान तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. शंकर सिंह पुत्र प्रताप सिंह आयु वयस्क निवासी मण्डपिया शक्तावतान तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. शोभाग सिंह पुत्र बहादुर सिंह आयु वयस्क निवासी मण्डपिया शक्तावतान तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. देवेन्द्र सिंह पुत्र बहादुर सिंह आयु वयस्क निवासी मण्डपिया शक्तावतान तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
7. लक्ष्मण सिंह पुत्र सोहन सिंह आयु वयस्क निवासी मण्डपिया शक्तावतान तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
8. कैलाशचन्द्र पुत्र गजानन्द ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी पीथास तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
9. गोपालचन्द्र पुत्र गजानन्द ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी पीथास तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
10. बालकृष्ण पुत्र गजानन्द ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी पीथास तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा राज0

-विपक्षीगण

उपस्थित:-अधिवक्ता प्रार्थी उदय सिंह चारण
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 10 उपस्थित नहीं

-: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम :-

-: निर्णय :-



उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मण्डपिया प०ह० मुझरास भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुरला तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत् 2069-2073 के खाता संख्या 145 की अभिलिखित आराजियात 278, 441/269, 462/259 कुल किता 03 कुल रकबा 0.6954 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।


इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 10 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा मण्डपिया प०ह० मुझरास भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुरला तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत् 2069-2073 के खाता संख्या 145 की अभिलिखित आराजियात 278, 441/269, 462/259 कुल किता 03 कुल रकबा 0.6954 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 03.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(आब्हाद प्रिवृत्ति सोमनाथ)

उपखण्ड अधिकारी एवं पट्टेन
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर
भोलवाडा